मैं खड़ा हूं ...(**व्यवधान**)... आप देखिए, मैं खड़ा हूं ...(**व्यवधान**)... Nothing will goon record. ...(Interruptions)... देखिए, अमर सिंह जी ...(**व्यवधान**)... अमर सिंह जी , यह तय हुआ है कि इसको कल लिया जाएगा ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* नहीं आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं ...(**व्यवधान**)... बिल्कुल नहीं ...(**व्यवधान**)... आज कोई जीरो ऑवर नहीं है ...(**व्यवधान**)... यह यह तह हुआ है और आपको यह कहा गया है ...(**व्यवधान**)... यह बात सही नहीं है ...(**व्यवधान**)...**यही सही नहीं है** ...(**व्यवधान**)... **नहीं**, **यह बिल्कुल सही नहीं है** ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... देखिए जब एक बात तय हो जाती है तो इस पर ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं अमर सिंह जी ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. *...(Interruptions)* अमर सिहं जी, ...(**व्यवधान**)... देखिए, यह सब नहीं चलेगा आप बैठिए । ...(**व्यवधान**)... आप प्लीज बैठिए । ...(**व्यवधान**)... आपको कहा गया है कि कल यह लिया जाएगा ...(**व्यवधान**)... वहां मान कर ...(**व्यवधान**)... आपको कहा गया है कि कल यह लिया जाएगा ...(**व्यवधान**)... वहां मान कर यहां नहीं माने , तो यह ठीक नहीं है ...(**व्यवधान**)... बिल्कुल ठीक नहीं है । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आजमी साहब, देखिए, कल यह ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. *...(Interruptions)* ...(**व्यवधान**)... अमर सिंह जी, कल यह उठा लें, कल आपको मौका दिया जाएगा । ...(**व्यवधान**)... अमर सिंहजी , कल आपको मौका दिया जाएगा । ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप हाऊस को कोआपरेट कीजिए । ...(**व्यवधान**)... आजमी साहब, आप यह बहुत गलत कर रहे हैं । ...(**व्यवधान**)... आप वादा करके ...(**व्यवधान**)... आप जो भी कहें, रिकार्ड पर नहीं जाएगा । ...(**व्यवधान**)... देखिए, यह मत कीजिए, यह अच्छी बात नहीं है । ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, आप बैठिए । बोलिए मंत्री जी ।

The Central Educational Institutions (Reservation In Admission) Bill, 2006

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIARJUN SINGH): Sir, I beg to move:

That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizens, to certain Central Educational Institution established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewit+i or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration

The question was proposed.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पूर्व पुरूषों ने संविधान बनाते वक्त राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र के नागरिकों का कैसे निर्माण हो, इसका ध्यान रखते हुए कई अनुच्छेदों में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में कहा है। महोदय, अगर आप इधर दें तो अच्छा रहेगा और इससे मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूंगा। हमारे संविधान का 45वां आर्टिकल कहता है कि 'Provision for free and compulsory education for children' और वह कहता है कि The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the comencement of this Constition, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. महोदय, 56 वर्ष गुजर चुके हैं पर आज भी संविधान का 45वां अनुच्छेद पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कहा रहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट यह खुद प्रतिलक्षित करती है, जब वह हमारी टोटल पापुलेशन की लिट्रेसी परसैंटेज बताती है। अगर यह लागू हो जाता तो शायद राष्ट्र के शत-प्रतिशत लोग शिक्षित होते, वह वैसा नहीं है। हमारे यहां अडल्ट लिट्रेसी परसैंटेज कुछ और है, यूथ लिट्रेसी परसैंटेज कुछ और है। साक्षरता अभियान के नाम पर सिर्फ दस्तखत करने वालों की गिनती करें तो सबसे ज्यादा संख्या उनकी है पर वह भी शत-प्रतिशत नहीं है। महोदय, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए यही दो आधार हैं, एक गरीबी को दूर करना और उसी से जुडा हुआ आधार है, शिक्षित करना। जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए जिस मानव संसाधन की जरूरत है, वह संसाधन शिक्षित होना चाहिए और यही कारण था कि जिस समय हमारे पूर्व पुरूषों ने संविधान बनाया था, उस समय इस बात का ध्यान रखा था और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 45 को उसमें लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम यहां करीब 26 से 27 फीसदी लोग पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, वे बिलों द पावर्टी लाइन भी है, अशिक्षित भी है। और अति गरीब भी हैं।

महोदय, उसके साथ-साथ आर्टिकल 46 में संविधान निर्माताओं ने कहा था,

"Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduld Tribes and other weaker sections- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation"

महोदय, हम उसे भी पूरा नहीं कर सके । आज 56 वर्ष के बाद हम एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स में उनकी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं । और इसके साथ-साथ जो कॉस्टीटयूशन का चैप्टर 16 है, क्लॉज 330 से 342 तक, वह पूरी तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए समर्पित है, लेकिन हम उसमें भी कोई सुधार नहीं ला सके । उसका कारण क्या था? कारण बहुत सीधा सा था, कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15 (1) – (2) है, जो कहता था,

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

सब-क्लॉज (2) कहता था,

'No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to-

(a) access to shop, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public."

महोदय, संविधान 26 जनवरी, 1950 को पास हुआ और उसमें ये सभी बातें थी । उसके साथ-साथ आर्टिकल 29 (2) जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के संबंध में है, यह कहता था,

"No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them:"

महोदय, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ-साथ तत्कालीन प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू को ऐसा महसूस हुआ कि ये सारी चीजे हम लागू नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें कहीं न कहीं बाधा आ रही है, एक तरफ तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक शेडयूल्ड कास्ट शेडयूल्ड ट्राइब्स और अदर बैक्वर्ड क्लासिज के लिए कहा जाता है ।

दूसरी तरफ 45 में सब को कहा जाता है एजुकेशन दी जाए, 46 में कहा जाता है, 29(2) में कहा जाता है, 15(1) और (2) में कहा जाता है। तो आखिर अड़चन है तो, यह जो अदर बैकवॉर्ड क्लासेज है। या शैडयूल्ड कॉस्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स है इनके बारे में क्या किया जाए और यही कारण

है महोदय, कि हमारे 15 महीनों के अदंर फर्स्ट कंस्टीटयूशन अमेंडमेंट लाया गया । मई, 1951 में यह कंस्टीटयूशन इंटरोडयूज हुआ, जिस पर एक सलेक्ट कमेंटी बनी और सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की ओर उसमें चौथा सब-क्लॉज आर्टिकल – 15 में जोड़ा गया है । महोदय, जोडते वक्त पं. नेहरू जी ने 16 मई, 1961 को अपने भाषण मे कहा था :

"You have to distinguish between backward classes which are specially mentioned in the Constitution that have to be helped to be made to grow and not think of them in terms of this community or that. Only if you think of them in terms of community, you bring in communalism.'

ऐसा क्यों कहा, उसका कारण यह था कि 1950 में जो कंस्टीयूशन नोटिफिकेशन हुआ एस.सी. और एस.टी. के बारे में, उसमें कहा गया कि यह सिर्फ जो हमारे यहां मूल निवासी है, जो हिन्दू एस.सी., एस.टी. है उनका ही उल्लेख होगा और उसके आधार पर उनकी रिजर्वेशन या उनकी एजुकेशन के बारे में सोचा जाएगा या उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा । पर आपने देखा होगा कि इस विधेयक में एक जगह लिखा गया है जो आर्टिकल – 15 के अनुच्छेद – 4 में आता है – "Socially and educationally backward classes of citizens."

किन्तु वह बात एस.सी. एस.टी. के बारे में नहीं लिखी जाती । उसका मूल कारण है कि इसको लिया गया कि यह पूरी जो हमारी भारत की पॉपुलेशन है चाहे हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, इसाई हैं, उनके अंदर जो बैकवॅर्ड क्लासेज है, यह चीज उन पर सब पर लागू होगी । महोदय, परन्तु मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिस वक्त कंस्टीटयूशन का 93वां अमेंडमेंट आ रहा था, पिछले वर्ष दिसम्बर, में एक वर्ष पूर्व, उस वक्त और मेरे ख्याल से 22 दिसम्बर को इस सदन में पास किया गया था, उस वक्त हमारी पार्टी को, हमारे दल की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने यह बात उठाई थी कि आप यह रिजर्वेशन ला रहे हैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में, परन्तु आपने इसमें से मॉयनोरिटी इंस्टीटयूशन को अलग रखा है । उन्होंने उदाहरण दिया था कि सेंट स्टीफन कॉलेज में अगर एक मुस्लिम दलित या कोई शैडयूल्ड कॉस्ट या ओ.बी.सी. मुस्लिम जाता है या हिन्दू जाता है तो उसका ओ.बी.सी. की केटेगरी में एडमिशन नहीं होगा, उसका एडमिशन होगा दौलत राम कॉलेज में, सेंट स्टीफन में नहीं हो सकता, हिन्दू कॉलेज में हो सकता है। चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दू हो, सिख हो या क्रिश्चिन हो यदि वह ओ.बी.सी. केटेगरी में रिजर्वेशन मांग रहा है तो उसको मॉयनोरिटी इंस्टीटयूशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो जनरल केटेगरी की इंस्टीटयूशन है, उसी में मिलेगा।

जब वह St. Xavier's College कोलकता में एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो उसे वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, बंगवासी कालेज में मिलेगा । अगर मुम्बई के St. Xavier's College में जाता है, तो वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, उसे Narsee Monjee में मिलेगा, ऐसा क्यों है ? जब

पंडित नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया था, तब उन्होंने ओबीसी के बारे में कहा था, "Only if you think of them in terms of community, you bring in communalism. But, if you deal with backward classes as such, whatever religion or anything else they may happen to belong to, then, it becomes our duty to help them towards education, social and economic advancement."

महोदय, हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करते हैं। बार-बार यह सवाल उठता है कि इसमें आर्थिक पिछडेपन का सवाल क्यों नहीं आता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड को क्यों नहीं लिया जाता है ? साथ ही साथ यह उन संस्थाओं पर लागू क्यों नहीं होता है? बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में तो रिजर्वेशन होगी, किन्तु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं होगी । दूसरे किसी भी मेडीकल कालेज में रिजर्वेशन होगी, लेकिन क्रिश्चियन कालेज, लुधियाना में नहीं होगी । खालसा कालेज में नहीं होगी, वहीं पर हसंराज का कालेज होगा या आर्य समाज का कालेज होगा, तो वहां पर रिजर्वेशन हो जाएगा? अर्थात जो उनकी कम्युनिटी के बैकवर्ड भी हैं, वे भी दूसरी संस्थाओं मे आकर एडमिशन लेंगे, उनको वहां पर जगह नहीं मिलेगी ।

महादेय, यह first अमेंडमेंट आज से 55 वर्ष पूर्व लाया गया और आज 55 साल बाद सत्ताधारी कांग्रेस की नींद टूटी कि नहीं, उनका शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन होना चाहिए और उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मगंनी लाल मंडल (बिहार) **:** कई वर्ष तक आपकी भी सरकार थी । आप क्यों नहीं लाए ? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बोलने दीजिए । ...(**व्यवधान**)... अब आप बोलिए । आप अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया **:** मंगनी लाल जी आप नेहरू जी की तुलना अपने आप से मत करिए ...(**व्यवधान**)... जिस वक्त राष्ट्र निर्माण हो रहा था, आज आप इस बात से तो नकार नहीं सकते कि शैक्षणिक संस्थाओं को आप जो रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, आपका कहना है कि यह बहुत अच्छा कदम है, बहुत सारी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं और पूरे राष्ट्र को सपोर्ट करना चाहिए था। परन्तु आज क्यों समाज बंटा हुआ है? अगर 1951 में, जिस वक्त यह first अमेंडमेंट आया था, उसी वक्त यह काम कर लिया होता, तो यह जो आपने केटेगराइजेशन किया है, आज जिन-जिन शिक्षण संस्थाओं में या जिस-जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो सकता है, जो तनावग्रस्त है, वे नहीं होते । क्योंकि जितनी भी संस्थाएं बनी है, वे 1951-52 के बाद ही बनी है । अगर वैसी व्यवस्था उस वक्त हो गई होती, तो शायद लोगो के दिमाग में यह दबाव नहीं होता कि आज मेरा अधिकार छीना जा रहा है । जिस मैंरिट की बात हम कर रहे हैं, जिस इंटेलिजेंस की बात

कर रहे हैं, उस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगता । आपका यह बिल लाने के पीछे मकसद ही यह है कि समाज को और बांट डालो । अंतुले जी , मुस्करा रहे हैं । ...(**व्यवधान**)...

मुस्करा इसलिए रहे हैं कि सच्चर कमेटी जो बनाई गयी, उसमें Mandate दिया गया, आज 55 साल बाद Mandate क्या देते हैं? Mandate देते हैं कि, what is the proportion of Other Backward Classes from the Muslim community in the total OBC population in various States? यह पता लगाइए । Are the Muslim OBCs listed in the comprehensive list of OBCs prepared by the National and State Backward "Classes Commissions and adopted by the Central and State Governments for reservation for various purposes? What is the share of Muslim OBCs in the total public sector employment for OBCs in the Centre and in various States in various years? महोदय, एक तरफ तो नेहरू जी कहते हैं, कि ओबीसी बनाने के पीछे मकसद यह नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको कम्युनलाइज नहीं करना है, दूसरी तरफ 55 वर्ष बाद उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री एक ऐसी कमेटी बनाते हैं, जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह लिखते हैं, कि इसका पता लगाइए । जबकि काका कालेलकर समिति जो बनी थी, 1955 में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने 2,399 कास्ट्स को मिलाकर ओबीसी को बताया था और 837 मोस्ट बेकवर्ड क्लासिज को आइंडेटिफाई किया था। उस वक्त इसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ ? जिसमें सारे समाज के लोग, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी अदर बेकवर्ड क्लासिज हैं, उन सबको इसमें लिया गया था । 80 के दशक में जब बी.पी. मंडल कमीशन बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3,743 कास्ट्स को – 2,399 से बढ़कर 3,743 हो गयीं – उन 3,743 कास्ट्स को मिलाकर ओबीसी बनाया । 80 से लेकर फिर 2005 तक -2005 में आपने यह आधार बनाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार की जाए । उसे तैयार करने का मकसद क्या था? मकसद यह था कि आप चाहते थे कि पर्टिकुलर कम्यूनिटी , मुस्लिम पापुलेशन को कितना – उसके लिए प्लानिंग में, उसके लिए स्ट्रेटेजी में, उनके लिए पॉलिसीज में – कितना पैसा अलॉट किया जा सकता है, एलोकेशन किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सके और उसके लिए आपको आंकडे मिले । आपने आंकडे मांगे, 1950 से लेकर अब तक के । आपने देखा कि आप जिस चीज का ढिंढोरा इतने वर्षो तक पीटते रहे कि आप मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं , माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और चेंपियन कहलातें रहे, उस रिपोर्ट में बताया कि उनकी हालत दूसरों से भी ज्यादा बदतर है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण सिर्फ एक ही है । दूसरों की हालत क्यों बदतर है, उसका मैंने आपको उल्लेख करके बताया कि संविधान का आर्टिकल 45 अगर इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो आज शिक्षित भारत होता । 46 अगर इम्प्लीमेंट होता और 330 से लेकर 342 तक टोटली इम्प्लीमेंट होता और ये एक दूसरे को contradict न करते तो शायद भारत को हम अशिक्षित और शिक्षितों के बीच, पिछडों और अगडों के बीच, जाति और धर्म के नाम पर बांट

नहीं सकते थे । हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर आप पूरे कांस्टीटयूशन को पढे, तो हर जगह एक बात लिखी गई है कि कांस्टीटयूशन के इंप्लीमेंट होने के 10 वर्षो के अंदर यह पूरा हो जाना चाहिए । मतलब यह एक direction है, एक प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया । वैसे तो जब 25 वर्ष पूरे हुए, उन 25 वर्षो के पूरे होने पर संविधान की एक समिति बनाई गई, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके ऊपर संशोधन हुआ और वह संशोधन 42वें संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो एक अलग तरह के तनाव का कारण बन गया, लेकिन हमारा कांस्टीटयूशन ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : आपकी आवाज कमजोर है।

श्री उपसभापति : मंडल जी, जरा बोलने दीजिए ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : अगर आप जोर से सुनना चाहते हैं, तो बोलिए ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) **:** आप volume ज्यादा भी कर सकते हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आला लगा लीजिए, सुनाई पड जाएगा ।

प्रो. राम देव भंडारी : लगा लेते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : उसी स्पीड में बोलें, तो अच्छा रहता है ...(**व्यवधान**)... इनका यही रूप हम देखना चाहते हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इनको अच्छा नहीं लग रहा है , सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ।

श्री मंगनी लाल मंडल : हम आपको बहुत चाहते हैं और बहुत इज्जत करते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) **:** Cross border infiltration है ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : खैर, invitation तो मिलते रहेंगे, जब तक रहूंगा, invitartion तो आते रहेंगे ।

श्री वी0 हनुमंत राव (आंध्र प्रदेश) **:** बदलने का इरादा है क्या ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : क्या मेरी भाषा से ऐसा लग रहा है आपको ...(**व्यवधान**)... अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं कितना criticize कर रहा हूं, तो बोलिए, मैं तेलुगु में बोलना शुरू करता हूं, कि तब समझ में आ जाएगा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हनुमंत राव जी, Please don't disturb ..*(Interruptions)*.. देखिए, इस बिल पर 4 घंटे का समय है । We have to take up another Bill. We have time only up to 4 o'clock. Please, don't interrupt. Let the Member speak. Please don't interrupt.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : अगर health criticism भी आपको समझ में नहीं आता है, तो बात दूसरी है । मैंने कोलकाता के Prestigious Law College से वकालत पढी थी, मेरे जहन में एक सवाल बार-बार उठता था कि आर्टिकल 15 के 4th clause 3 "Other Backward Classes, socially or backward classes of citizens" क्यों लिखा गया है ? तो उस वक्त मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लोक सभा की Proceedings पढने का मौका नहीं मिला था ...(**व्यवधान**)... वहां पर available नहीं थी ।

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI A.R. ANTULAY): It was the Constituent Assembly, not Lok Sabha.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उस वक्त मुझे यह पढ़ने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मुझे यह महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस वक्त उसको Citizenship Act के साथ compare किया था कि क्या हमारे यहां नागरिकता के भी दो भाग हैं? एक नागरिक, साधारण नागरिक है, जो by birth होता है, by naturalisation होता है, एरिया का, जैसे Assam Accord हुआ, उसके माध्यम से होता है । तो यह क्या बात है? बाद में जब मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू का भाषण पढ़ा और साथ श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाषण पढ़ा, तो मुझे महसूस हुआ कि कांस्टीटयूशन बनाने वालों ने तो कांस्टीटयूशन बनाया था एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए, यदि वह पूरी तरह से लागू होता तो, लेकिन 15 महीनों के बाद जो पहला अमेंडमेंट आया, उसमें आर्टिकल 19 में संशोधन हुआ था which guaranteed six freedoms to Indian citizens, including the Freedom of Speech..Article 31, Right to Property H, Article 85 -Substitution with a new text rules relating to 'Sessions of Parliament, prorogation and dissolution', उसके बाद आर्टिकल 87, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 और आर्टिकल 376 में भी संशोधन हुआ । आज शायद बहुत-से लोगों को पता नहीं हो कि देश आजाद होने के और संविधाना ग्रहण करने के 15 महीनो के अन्दर हम आर्टिकल 376 में संशोधन के माध्यम से क्या लाएं थे ? महोदय हम लाए थें "Enabling non-Indian to be appointed as Chief Justice and Judge in the Supreme Court and in the High Courts." At that point of time, there were four British nationals serving as Judges in India. यह 15 महीने के अन्दर करना पड़ा था, क्योंकि वे काम कर रहे थे, उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आई थी और हम लोगों का संविधान चल रहा था ।

मेरे कहने का मकसद है, मैंने आपको इतने आर्टिकल्स क्यों बताए? आर्टिकल्स बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, जो मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले दो बातें कहीं कि राष्ट्र-निर्माण के लिए जिन दो चीजों की जरूरत है – गरीबी उन्मूलन और शिक्षा, उनमें हम बहुत पिछड़ गए । आज 56 वर्षो बाद भी हमारे 27 फीसदी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं । पूरे देश में कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि मैंने यह डाटा मांगा, नेट से डाउनलोड करने की बहुत कोशिश की, लाइब्रेरी से लेने की बहुत कोशिश की लेकिन यह डाटा कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ । बिलो द पॉवर्टी लाइन का तो दिया हुआ है, जो अति गरीब है, वे 27 फीसदी है। किन्तु जो गरीब है, उनकी संख्या का पता नहीं , जो निम्न-मध्य वित्त परिवार से हैं, उनकी संख्या का भी पता नहीं, जो मध्य वित्त परिवार से है, उनकी संख्या का भी पता नहीं और जो उच्च-मध्य वित्त परिवार से हैं, उनकी संख्या का भी पता नहीं । पता कहां लगता है उनके बाद कि हमारे कंट्री में मात्र 3 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं । हमारा सौ करोड से भी ज्यादा लोगों का देश है, वहां पर सिर्फ 3 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, तब मुझे यह मानना पडेगा कि उन 3 करोड़ लोगों में से जो नीचे लोग हैं, उनकी इनकम टैक्स पे करने तक आती नहीं है । टैक्स पे करने की शुरूआत कहां से हो जाती है, तो जिसकी भी 14-15 हजार रूपए प्रति महीने इनकम हो, उसके बाद से यह शुरू हो जाती है । मैं जब ये आकंडे देखता हूं, तो फिर सोचता हूं कि हम जिनके लिए यह विधेयक बना रहे हैं, ये लोग कौन है? इन शिक्षण संस्थाओं में पढाने वाले लोग कौन हैं? ये तो हमारे मध्य वित्त परिवार, निम्न वित्त परिवार और जो उच्च-मध्य वित्त परिवार वाले या नौकरी –पेशा लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढाते हैं, आगे पढ़कर कुछ काम करने की बात बताते हैं। वैसे परिवारों की संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा हमारे यहां नहीं है ।

महोदय, जब इन शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन लाकर एक तरफ से हम वाहवाही लेते हैं, तब दूसरी तरफ इससे तनाव होता है । उस तनाव का मूल कारण क्या है ? मूल कारण यह है कि जिनको यह शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर उसकी शुरूआत, आर्टिकल 45 के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा ही नहीं मिली है, तो वे ऊपर की शिक्षण संस्थाओं मे कहां से जाएंगे। क्योंकि ये 27 फीसदी लोग वे भी हैं, जो इस 52 फीसदी के अन्दर आते हैं । आखिर हम किनके लिए इन केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओ में रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं? मुट्ठी –भर लोगों के लिए? मुट्ठी भर लोगों के लिए या यह सिर्फ एक स्लोगन है, एक नारा है लोगों को बहकाने का या विभ्रांत करने का । अगर हम इसको 1951 के बाद ही लागू किए होते और उसी हिसाब से उस बफर को देखते हुए, हमारे यहां शिक्षण-संस्थान बने होते आज जैसे मोइली रिपोर्ट कहती है कि इतने परसेंट सीटें बढा देगी । अगर 1951 के संशोधन के बाद 1952 मे ही ऐसी कोई संस्था बनी होती, तो आज यह अवस्था न होती । आज हमारे लोग आई.टी. इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में सॉफ्टवेअर इंजीनियर के नाम से, आईटी. इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं, वे क्या किसी शिक्षण संस्था के रिजर्वेशन कोटे से पास होकर गए हैं? क्या आपने ट्रेनिंग

देकर उन्हें भेजा है? अपनी कैपिसिटी से तैयार होकर, मेधावी छात्रों ने अपना एक स्टेटस बनाया है, उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया जिससे कि देश को, राष्ट्र को गौरव हुआ । महोदय क्या मह मात्र शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन करके ही राष्ट्र को गौरवशाली बनाएंगे ? आज आप देखिए मेरी यह व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है कि इस बिल के पास होने के बाद जब इस पर राष्ट्रपति जी की मुहर लग जाएगी और यह कानून बन जाएगा तथा अगले वर्ष जब इसके आधार पर छात्रों की भर्ती होगी तो उस वक्त हो सकता है कि एक तरफ कुछ लोग शायद दिवाली मना रहे हों लेकिन कुछ लोग मातम मना रहे होंगे, क्योंकि उनके बच्चों को उस केटेगरी में न होंने के कारण, मेधावी होने के बावजूद भी, ऐडमिशन नहीं मिलेगा और अंततः क्या होगा कि हर वर्ष जो विदेशी यूनिवर्सिटीज का बाजार हिन्दुस्तान में लग रहा है, हर वर्ष जो कैम्पस में आकर विदेशी यूनिवर्सिटीज अपना प्रचार कर रही है, पहले तो M.B.A. के लिए आते थे, इंजीनियरिंग के लिए और दूसरे कोर्सिज के लिए आते थे, लेकिन अब तो D.B.A. के लिए B.Sc. के लिए B.A. के लिए, B.Com. के लिए आ गए, तो क्या आप नहीं समझते कि आपके मेधावी छात्रों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इससे हमारी हाई करेंसी भी बाहर जाएगी, क्योंकि उसकी पेमंट डॉलर में, यूरो डॉलर में और पॉन्ड्स में होगी । हमारे माननीय सांसद श्री अरूण शौरी जी बता रहे हैं कि हर साल चार बिलियन डॉलर इस स्टूडेंट एजुकेशन पर विदेश जा रहा है।

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्णाटक) : अहलुवालिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप आई.टी. इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहे थे तो आपने कहा कि बंगलोर इस आई.टी. टैक्नोलॉजी का केपिटल है, फिर आपने कहा कि जो मैरिट पर आएगा, वह मैरिट में इतनी ऊपर आने वाला क्या करेगा, लेकिन कर्नाटक में और खास तौर से दक्षिण भारत में इतने कैपिटैशन वाले कालेज हैं कि उनमें जो मैरिट पर नहीं आया, वह भी पैसे देकर ऐडमिशन ले रहा है, तो उसके बारे में भी जरा थोड़ा ज्ञान हमको दे दीजिए ।

श्री एस. एस. अहलुवालियाः मंत्री महोदय अपना जवाब देते वक्त जरूर बताएंगे कि भारत में जितने कालेज है, उनमें कितनी केन्द्रीय शिक्षण संस्थाएं है और कितनी शिक्षण संस्थाओं से बहुत ज्यादा है और वह भी एक व्यापार है, कैपिटेशन फी देकर लोग पढ़ रहे हैं । फिर सरकार का तो कुछ नहीं है । उसके कारण तनाव तो हो रहा है न । मैंने कहा कि कौन अपने बच्चे को पढाता है जो लोअर मिडल क्लास में है, मिडल क्लास में है लिटल अपन मिडल क्लास में है या जो नौकरी पेशा है, वह अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन क्या वह बच्चा कैपिटेशन फी देकर प्राइवेट कालेज या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन ले सकता है? नहीं ले सकता। और आज जब एजुकेशन लोन का जमाना आ गया है, तो आप देखिए कि भारत में बच्चों के द्वारा जितने एजुकेशन लोग लिए जा रहे हैं, वे विदेशों मे पढने के लिए ही लिए जा रहे हैं। भारत में पढने वालों में एजुकेशन लोन लेने वालों की संख्या नगण्य है,

वे आठ या दस लाख रूपये लेकर बाहर जा रहे हैं। उनके पिता जी की सैलरी स्लिप बंधक रही जा रही है और उस पर उन्हें एजुकेशन लोन दिया जाता है और इस तरह वे बच्चे बाहर पढने जाते हैं।

लेकिन क्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना यही था? क्या उन्होंने ऐसा ही भारत चाहा था, जहां पर एक दिन मेधावी छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से, यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे एक आईक्यू टेस्ट होता है, जो नॉर्मल चीज हैं। अगर कोई आदमी मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है और उसे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो उसे कहा गया कि नहीं साहब, आप तो मेकैनिकल इंजीनियर बन जाओं, क्योंकि वहां पर एडमिशन मिल रहा है। एक मेडिकल डॉक्टर जिस परफैक्शन से एनाटॉमी करने की बात सोचता था, उसे आप मजबूरी से ब्लैकस्मिथ बनाने जा रहे हैं, उसे दूसरे ही कोर्स में डालने जा रहे हैं

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) पीठासीन हुए।

क्योंकि मां-बाप का कहना भी यही है कि अगर बच्चा कुछ भी पढेगा नहीं, ग्रेजुएट नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगा तो करेगा क्या? हम तो नौकरी-पेशा आदमी है , लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे?

महोदय, आने वाले दिनों के लिए हमारे देश की जनसंख्या का जो पिरामिड बनाया जाता है, उस पिरामिड के अनुसार हमारे देश का यह जो यूथ है, इनकी संख्या करीब 63 percent हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य : हो गई है , लैस दैन 30।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : लैस दैन 30 ईयर्स ऑलरेडी 63 percent हैं। लैस दैन 30 जो स्टुडेंट एज है , इस समय उसने ग्रेजुएट हो कर, पोस्ट ग्रेजुएट हो कर, ट्रेनिंग लेकर, कोई कोर्स करके अथवा किसी लाइन में एक्पर्टाइज लेकर जाना है। उनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है , फिर उन सबमें उनकी संख्या कितनी होगी? अगर वे 60 percent हैं, इसका मतलब है कि वे 60 करोड़ हैं, अगर वे 60 करोड़ हैं तो क्या आपकी इन शिक्षण संस्थाओं में जो रिजर्वेशन है, 52 percent या 27 percent आप जितना भी पकड़ लीजिए, क्या आपके पास उन्हें पढ़ाने के लिए 30 करोड़ सीटें हैं? उन साठ करोड़ में से मैं percent को माइनस कर देता हूं, उसके बाद जो संख्या आती है, उसमें से भी 50 percent माइनस कर दीजिए, तो क्या आपके पास उतनी संख्या को पढ़ाने के लिए भी इंस्टीटयूट्स हैं? क्या वहां पर आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकेंगे ? अगर नहीं दे सकेंगे, आगे आपने कहा कि हम प्राइवेट इंस्टीटयूशन में भी रिजर्वेशन लागू करेंगे।

प्राइवेट इंस्टीटयूशन में रिजर्वेशन करने के साथ-साथ तनाव का एक कारण और भी दिया गया है कि ...(**समय की घंटी**)... I am concluding ओबीसी में जो मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख हैं, उनके एडमिशन भी उनकी जाति या उनके धर्म के चलाए हुए माइनॉरिटी इंस्टीटयूशन्स में नहीं हो

सकते । ऐसा क्यों? उसका प्रावधान इसमें क्यों नहीं है । उस प्रावधान को भी इसमें लाने की जरूरत है और इसी कारण से मैंने अपना अमैंडमेंट भी दिया है।

एक तरफ जब 1950 में एससी/एसटी का नोटिफिकेशन हुआ था, तब आपने कहा था, कि इसमें सिर्फ हिन्दुओं के एससी/एसटीज इन्क्लूड रहेंगे, किन्तु 1951 में पहले संशोधन के माध्यम से आपने यह अधिकार दे दिया कि ओबीसी की पॉपुलेशन में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासिज रहेगी। मैं कहता हूं कि उसमें ईकोनॉमिक क्राइटीरिया लगाकर उन्हें प्राथमिकता दीजिए क्योंकि गरीब तो गरीब है, गरीब चिरकाल से गरीब है। हमारे माननीय अर्जुन सिहं जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान कृष्ण के समय भी गरीब था, जिसका नाम सुदामा था। और मर्यादा पुरूषोतम भगवान राम के वक्त भी गरीब थे, जिसको कहा जाता है – शबरी । तो गरीबों के उत्थान के लिए भी अगर कुछ करें वे चाहें किसी जाति के, किसी मजहब के हों, उनके बारे मे भी सोचें । उसमें कॉनोमिक क्राइटेरिया लाएं । किन्तु सबसे महत्वपूर्ण यह जरूरी है कि इनको सारी शिक्षण संस्थाओं में लगाए, चाहे मॉयनोरिटी के हों, चाहे जनरल हों, उसमें लगाया जाए और आयन्दा से मेरी कोशिश यह है, मेरी इच्छा है कि आप शिक्षा से जुडे हुए संविधान में जो प्रावधान है, उनको एक बार रि-लुक करिए ।अगर आपने वाकई फिर भारत निर्माण का, भारत बनाओं का नारा दिया है, एक ईमानदार नारा आपने फिर दिया है भारत निर्माण का, तो भारत निर्माण का अगर नारा सही करना है, सही लागू करना है तो इन धाराओ पर, इन आर्टिकल पर, कंस्टीटयूशन पर ध्यान देना पडेगा, तभी उसको हम खरा उतार सकेगे और पूरा उतार सकेंगे । यही कहते हुए , मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Thank you, Sir. It is a historic day for the Parliament. Today, if this piece of legislation gets passed, which is hailed as landmark legislation in the history of the nation, then, it has to be written in golden letters. Sir, it is heartening to note, when it was passed unanimously by Lok Sabha, getting the support of all the parties, all the sections of the Parliament, I felt that It was a unique day for the nation. At the outset, I thank the hon. Minister, Shri Arjun Singhji for bringing this legislation, even though he was humiliated, tortured and also intimidated. In spite of the fact that his effigies were burnt, there were agitations throughout the country, from certain quarters against this piece of legislation and also against Mr. Arjun Singhji, Sir, with all this resistance, he has come out victorious. In fact, here is a man who does not belong to the Backward Classes or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Here are the people in the Parliament who belong to different castes, some of them are from upper castes also, who have wholeheartedly support

1.00 PM

this piece of legislation. The entire country is grateful to them. The Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, under this legislation, are provided with reservation in educational institutions for admission. It is not for appointment or for promotion. There is another Bill which-is coming up before the House by the UPA Government which will take care of recruitment and promotion. Sir, another Bill will also be in the offing which will provide reservation in the private institutions and aided institutions. Now, what does this piece of legislation provide for? It is for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and then Backward Classes who are socially and educationally backward. It is within the ambit of the Constitution. Parliament that has passed this legislation, the constitution amendment, has given authority to the Government and to the hon. Minister to come out with this piece of legislation. Sir, here the words are, "socially and educationally backward classes." They are not castes; it is a class. And there is a difference between castes and class. For the Scheduled Castes, this Bill provides for 15 per cent reservation; for the Schedules Tribes, seven-and-a-half per cent; and for other backward classes, which are socially and educationally backward, it is 27 per cent. Now, it is going to be 49.5 per cent for these sections of the society. What is the percentage of their population? The Schedules Castes consist of 18 per cent, and the Scheduled Tribes consist of seven-and-a-half per cent. Now the percentage of the total population from these two castes will be 25 per cent, and from backward classes, as per the Mandal Commission that has been considered on the basis of 1931 Census, it comes to 52 per cent of the population. Now my submission before the House is that these sections-the Schedules Castes, 18 per cent and the Schedules Tribes seven-and-a-half per cent-come to about 25 per cent. The backward classes is 52 per cent. It is covered. Hon. Member, Ahluwaliaji, is not here. Even the OBCs in minorities, even Muslim castes, are also included, as per the recommendation of the Mandal Commission. Even though it is not mentioned here specifically, they belong to socially and educationally backward classes. If you take this into consideration-17-18 per cent Scheduled Castes, seveh-and-a-half per cent Schedules tribes, which is roughly about 25 per cent, 52 per cent backward classes, and 18 per cent minority-it comes to 95 per cent. This UPA Government, with the help of Parliament, is looking after 95 per cent of the population. Yes, the 5 per

cent of the population is left out, and we say that we are not against for providing reservation to the weaker sections in the upper castes also. That has to be done. But, as per the Constitution, it is not permitted today. It is only for socially and educationally backward classes. Now economic criterion is not incorporated in this. So, my submission is that they have come before the House as per the Constitution.

Sir, I am addressing this to the hon. Minister. Sir, you belong to a royal family; and I belong to the poor family. My asking for this reservation is natural. But you belong to a royal family and you are looking after this section of the society with all our assistance. We have to appreciate your tolerance and your patience, for what you have undergone for the last one-and-a-half years. Your patience is exemplary. You did not antagonize any section of the society. I would read some of the observations that have been reported against you in the Press. "Caste-based reservation." "Quality of education to suffer." I don't want to name the papers also. Some of the newspaper headings are, "Caste quota challenged: Notice to Centre on reservation", "The Thin Line: Now OBCs may demand parity with Scheduled Castes and Scheduled Tribes"; Then, the Supreme Court says, "Use quota to transcend caste, not perpetuate it"; "Excess Reservation will cause severe discrimination", says the Supreme Court; "Government Plan: new law to bypass Supreme Court restriction on Scheduled Caste and Scheduled Tribe quotas"; "We have final say on right", says the Supreme Court; "Keep out creamy layer"; "Future tense for creamy layer among backward classes"; Then, "Skim the cream", "vanishing cream". These are the cries which we have seen in media. Also, "Deceitful claim"; "Who has said yes to OBC quota"; "The disingenuousness of Human Resource Development Minister, Mr. Arjun Singh, and his factotums, it would seem that his latest disinformation campaign is limitless"; "Blow to justice"; "Education: Who cares for quality"; "Arjun Singh now a problem for the nation". They tried to have a division between the Prime Minister and Shri Arjun Singh. Then, "Don't divide Indians on caste". They said, the officials of NAC and HRD are divided over the Bill. Then, "Mischievous after throught"; "Arjun quota: not a way to help the disadvantageous"; "Goodbye Excellence"; "Ultimate Reservation"; "Manmohan Singh is paying the price for HRD Minister's polities'" "The mania for quota will destroy even the modest gains made in higher education"; "Reservation over Arjun: the HRD Minister, is attracting more questions than benefits"; "Spare the IIMs

& IITs"; "Merit versus Quota"; "Quota mania gone mad". This is the criticism you have faced. Really, I wonder, how you came up with this piece of legislation. I thought that the Minister will run away from the field. No. he has not done that.

Now, the question of merit We achieved eight to nine per cent growth rate in the economy. I heard some people say it is because of these people who are in premiere institutions; but for them, but for these industrialists, this growth would not have been there before the nation. Sir, I humbly differ with this. Even a worker working in the streets, a construction worker, a factory worker, a farmer in the field, even professors and engineers, whether they are meritorious or not meritorious—all the persons in the society contributed for this growth rate of eight to nine per cent. What do we say? We say, some group of people are faring well in those areas. Yes, because they are given the opportunity, and we have the backward classes also. The Scheduled Caste and the Scheduled Tribe minorities have been suffering for centuries. Take the example of Poojarys. I had not even two square meals per day. I got scholarships. When I went to study law in Bombay, what had happened? I did not have the money. I had to take water from the tap in the street for drinking purpose. For some days, I did not get a job. For some days, I did not have the money. At noon, for lunch, I had only one plaintain a day for so many days. That was my plight. We have seen the suffering. But, here is a Minister who understood the plight of the people. Yes, there is resistance. But, Mr. Minister, you did not care for that. What had happened when Indira Gandhiji brought the Nationalization of Banks Bill? At that time, poor people, farmers and others were not getting loans from the banking institutions. She nationalised them. She had given the land to the tiller. That was the Congress, and the people supported it. Further, when she removed the privy purses, what had happened? There was a lot of hue and cry. But today, the poor people of the country remember her as *Amma.* She belonged to the Brahmin caste, she belonged to the upper caste. It was not the caste factor which weighed with her because she was looking after the people. Even a poor person from the Scheduled Caste was taken as Minister in the Finance Ministry. Yes, some people said that this man would not continue as such even for more then 6 months. There were people, scheduled castes and other people, I do not want to name them, they said, "Yes, if an opportunity is given,—this is on record in the Finance Ministry—they can come up. Mr. Poojary had continued as the Minister of State for Finance in the

Finance Ministry for 6 years and 2 months." It is the record. Take the case of Lalu Prasadji. He did not study in the NTs, he did not go to the premier institutions. Today, he is considered one of the best Ministers the country has seen in the Railway Ministry. Even IIT people, IIM people called him, a backward classman, who is a crusader. As I said in the beginning of my speech, it is heartening to note that you people coming from the upper castes supported fully. That is India, that is the nation. It could be seen only in India, not anywhere also. Now, some people say that we are going to lose everything, our system will collapse. Yes, in 1951, there was one amendment piloted by Pt. Jawaharlal Nehru saying that there should be reservation for socially backward classes also. Now, I am just bringing to your notice today that the Bill which the hon. Minister has piloted, is a landmark legislation. Mr. Minister, you are going to be considered as *messaiah* by the backward classes. You have created history, and Shrimati Sonia Gandhiji stood by you. She stood by you like a rock. Dr. Manmohan Singh stood by you. There is a commitment that Nehru family has towards the weaker sections. They have got a commitment towards the weaker sections. They did not let you down. Yes, some people say something about the creamy layer. What has been the observation of the Supreme Court? The Supreme Court has observed that it is a mere observation. In Indira Sawhney case, what had happened? In this case, a nine-judge bench gave a ruling about the creamy layer, and in Nagraj's case, a smaller bench had given a judgment. But it is only an observation, nothing more than that. It is stated that when a nine-judge bench judgment is there, the smaller bench judgment cannot stand. It is the jurisprudence, it is the precedent. Hence, my submission will be, now, if at all you want the creamy layer, if the nation's mood is for that, we are not against it. But so far as the legislation is concerned, so far as the Constitution is concerned, it is not permitted at this juncture, yes, a day will come when we have to see the light, we have to see the reality. We people, who have come up in life, should give it up. I do not ask for the reservaton facility for my children even though it is in existence in Karnataka. Yes, why Mr. Narayanasamy should have the reservation? Why Mr. Poojary should have the reservation? Why should Mr. Paswan have reservation? Why should Mr. Lalu Prasad have reservation? *...(Interruptions)...*

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): He is not "Lallu Prasad". He is "Lalu Prasad".

SHRI AMAR SINGH (Uttar Pradesh): He is right hon. Lalu Prasadji.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am sorry. I have great respect for him. Sometimes, we commit mistakes. Thank you for correcting me. *...(Interruptions)...*

SHRI AMAR SINGH: I appreciate that. "Lallu" is a very colloquial. demeaning term.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am sorry. I am not well conversant with Hindi. I am sorry. After all, you know that we belong to the Backward Classes. *...(Interruptions)...*

SHRI AMAR SINGH: Don't say that and get into a controversy.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am just telling you.

प्रो. राम देव भंडारी : सर, "लल्लू" का मतलब प्यारा सा बच्चा है, वह कोई बुरा शब्द नहीं है...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Poojary, you please carry on.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Now, the question before us is, whether we, people like Poojary, should give it up. Such a day may come. People from Backward Classes are asking, "Why should you have reservation? You have come up in life". Yes, there is truth in it. I made a speech here in this House, when late Rajiv Gandhi was there, bringing this fact to the notice of the House. I agree with Mr. Ahluwalia. Yes, there should be reservation for the weaker section of the upper castes also. That is social justice. In the Indian national Congress, we have committed ourselves to the people of the nation, to freedom from political slavery and to freedom from economic bondage. After attaining political freedom, within a year, we came before the nation with the industrial revolution of 1948. In the Avadi Congress, the Indian National Congress committed itself to socialism. Our objective is to have growth and to have a vibrant economy, a strong economy, with social justice. That is the ideology and philosophy of the Congress. Now, the question is whether we are going to give it up or not. No, we will never give it up. That is why I admire Mr. Arjun Singh, Mrs. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh, and all of you for supporting this Bill. This should be the approach. Now, why should we have any grouse against the minority Muslims? Why do you have obsession about minority? Are they not part of India? Are they not children of Bharat Mata? Are they

not children of God? *..(Interruptions)...* Their poverty has been brought to . our notice. We have seen their poverty. You go to interior places and see their poverty. The Sachar Committee Report is not required for seeing the reality. When we exempt them, their institutions, from the purview of some the provisions, you are having some grudge. The minorities are also part of India. That should be our approach. Instead of doing that, if you go on spreading some hatred, if you want to divide the nation, it will not be good for the nation. Here, the minorities *...(Interruptions)...*

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैंने जो बोला , उस का मूल-तत्व यह था कि ओ.बी.सी. के बारे में, even सच्चर कमेटी रिपोर्ट के पेज नं0 189 से 198 तक लिखा हुआ है । उसे पढ़ लीजिए जरा ध्यान से पढ़िए । Please read Sachar Committee Report from page 189 to 198. I have only raised the issue because, as per the First Amendment of the Indian Constitution in 1951, it was stated "socially and educationally backward classes of citizens". But in the case of the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, it was not said like that—*vide* the Constitution Notification, 1950. My point is, OBCs consist of not only Hindus, it consists of Muslims, Sikhs and *Issais* also. When you are giving reservation to these people, allow them to take admission in the minority institutios also. Why are you depriving them from getting admission in these institutions? If you go by the number of seats available, the number of Central institutes available in the country, they are less in number. How can you do it?

SHRI JANARDHANA POOJARY: Mr. Ahluwalia, you were not present when I started my speech. In the beginning itself, I made this point: So far as the reading the Sachar Committee report is concerned, Mr. Ahluwalia, you know me, not from today, since long, that without studying anything I don't come in the House and speak. Now the question is....

SHRI S.S. AHLUWALIA: You have not read the report from pages 189 to 196

SHRI JANARDHANA POOJARY: That is why I said, "You were not present here".

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Poojary, I just want to remind you that your party's time is one hour. You have already taken 27 minutes. There are five speakers from your party. I just want to remind it to you.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Now the question you have raised is about minority institutions. Who prevented minority institutions from giving reservation or giving seats to backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes? They can do it on their own. In my State, they are doing it. Now the question before us is whether we should have any grudge against them. Even in the Mandal Commission report—I made this point also—these OBCs, that means weaker sections in minorities, even in the Muslim community, are included in the socially and educationally backward classes. My submission is, as passed by Lok Sabha, let us pass it unanimously. This unanimous message is going to give a big relief to this section of the society. I repeat that it is the will of Parliament that prevails. We are showing to the entire nation that Parliament is supreme nobody else is supreme than Parliament and that we are all representing the people of the nation. I submit that let us make it very clear to the other section who are opposing it that we represent the pulse of the people; our Government is responsible; Parliament is responsible; Parliament is responsive to the feelings of the people. We know the people's mind and we know the people's pulse. We are going to respond to that. This is the piece of legislation. This day will be considered, as I stated earlier, a historic day. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Before the next speaker starts, I would like to inform the hon. Members that in the morning meeting it was decided that the House would dispense with the lunch break. Shri Nand Kishore Yadav; you have14 minutes.

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी । सर, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित , अनुरक्षित या सहायता – प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों के , विद्यार्थियों के, प्रवेश में आरक्षण तथा उनके सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला जो विधेयक इस सरकार ने पेश किया है, मैं उसका पुरजोर ढंग से स्वागत करता हूं । और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इस तरह का विधेयक आजादी के लगभग 60 वर्ष के बाद आया है । जिस पार्टी ने इस देश में बहुत लम्बे समय तक शासन किया है, उस कांग्रेस पार्टी को इस तरह का विधेयक बहुत पहले लाना चाहिए था और उसे लागू करना चाहिए था ।

उपसभाध्यक्ष जी , इस देश मे निकट भविष्य में चार राज्यो में चुनाव होने वाले है, और इन राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति इस देश में खराब है और उस पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है । आज जब चार राज्यों में चुनाव होने वाले है, तब यह सरकार केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कानून बनाने का काम करती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर चुनाव न होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट न आती और न ही यह विधेयक आता, जिसे लोक सभा में पारित कर दिया गया है और आज राज्य सभा में इस पर चर्चा हो रही है। हम लोग इस विधेयक का समर्थन करेगे और इस विधेयक को पास होना ही है । अगर चुनाव न होते तो इस तरह के विधेयकों पर लोक सभा और राज्य सभा में चर्चाए नहीं होती । इसमें मेरे जैसे लोगों को निश्चित रूप से वोट की राजनीति की बू आ रही है। श्री अहलुवालिया जी ने इस चर्चा को शुरू किया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस सदन में नहीं था और जब मुझे दर्शक –दीर्घा में बैठ कर सदन की कार्यवाही को देखने का अवसरमिलता था, उस जमाने में अहलुवालिया साहब बाई ओर के साथियों के साथ बैठने का कार्य करते थे, उस समय भी मैं इनके भाषण को और सदन के अन्दर इनके द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नो को बहुत ध्यान से सुनता था । वे बहुत ही गंभीर किस्म के होते थे और उनके जो भाषण होते थे, बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, मैं इन्हें तब से जानता हूं और इनकी बहुत इज्जत करता हूं ....(**व्यवधान**) लेकिन आज जब इन्होनें चर्चा शुरू की , मैं समझता था कि अहलुवालिया जी इस बार भी अपनी चर्चा में कुछ अच्छी बातें उठाएंगे और इन्होंने उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि जहां एक तरफ इन्होंने इस विधेयक के समर्थन की बात कही , वहीं दूसरी तरफ पूरे भाषण में , जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना, इस विधेयक के विरोध में बोलने का काम भी किया । श्री अहलुवालिया जी के भाषण से ऐसा लगा कि जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उनकी मुहर लग जाएगी और जब अगले साल प्रवेश शुरू होगा, तो इस देश में तनाव बढ़ेगा, वर्गो के बीच में संघर्ष बढ़ेगा, इस देश का वह विद्यार्थी, जिसके अदंर प्रतिभा है, उसकी मानसिकता को कुचलने का प्रयास किया जाएगा और तरह-तरह की अनेक शंकाओं के बारे में इन्होंने उल्लेख किया । कुछ महानुभावों के बारे में भी इन्होंने कहा कि देश बनाने वाले जब राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे तो उन्होने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बड़ी नम्रता से आदरणीय अहलुवालिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह विधेयक पास हो जाएगा, जिन शंकाओं की तरफ आपने इस सदन में ध्यान दिलाने का काम किया है, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, बल्कि इस कानून के पारित होने पर देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता बढेगी, जैसा कि हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने जब देश निर्माण की बात कही थी , उस समय उनका विचार था और एक सोच थी ।

सर, भारतीय संविधान के निर्माता डा. बाबा साहब भीमराव अम्बडेकर 26 नवम्बर, 1947 को जब भारत के संविधान की प्रति उस समय के राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप रहे थे , उस समय उन्होंने डा. राजेन्द्र प्रसाद से एक बात कही थी कि 26 जनवरी, 1950 को यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हो जाएगा, लेकिन जहां तक सामाजिक और आर्थिक आजादी का सवाल है, 26 जनवरी, 1950 के बाद भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से यह देश गुलाम रहेगा, जब तक कि इस देश में रहने वाले नागरिकों के स्तर में, चाहे उनके आर्थिक स्तर का सवाल हो, चाहे सामाजिक स्तर का सवाल हो, समानता न हो जाए । अगर इसे यह समाप्त नहीं कर पाएंगे तो जो लोग असमानता के शिकार है , वे हमारे प्रजांतत्र के ढांचे को कमजोर कर देंगे और देश में लोंकतंत्र कमजोर हो जाएगा ।

सर, देश के आजाद हुए 60 साल हो गए लेकिन हमारे देश के नेताओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. लोहिया की जो सोच थी कि यह देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक व आर्थिक रूप से भी आजाद हो, उसे आज तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं । सामाजिक, आर्थिक असमानता इस देश में बहुत बड़ी समस्या है और इस खाई को हम लोग और चौडा करते गए और उस तबके से गरीबी हम दूर नहीं कर पाए, उनकी निरक्षरता और बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए । हमको इस तरफ भी ध्यान देना होगा, तभी इस देश को सामाजिक और आर्थिक आजादी मिल जाएगी । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जब इस विधेयक की सुगबुगाहट इस देश में सुनाई पडी तो इस पर तमाम चर्चाएं हुई हैं । इसी सभ्य समाज के लोगों ने इस पर आंदोलन करने का काम भी किया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग आंदोलित हुए, वे लोग इस देश की गरीबी, निरक्षरता और देश के अंदर जो अमीरी और गरीबी की चौड़ी दीवार है, इसको समाप्त करने के लिए उन लोगों ने कितनी बार आंदोलन करने का काम किया है । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिन बाद भी जब इस देश का किसान, जो पूरे भारत को अपनी मेहनत के बदौलत अनाज खिलाने का काम करता है, आज आत्म-हत्याएं कर रहा है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के जो सभ्य समाज के लोग हैं, वे किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उन किसानों की समस्याओं के लिए इन लोगों ने आदोंलन करने का काम क्यों नहीं किया?

उपसभाध्यक्ष महोदय, लोग इंजीनियर और डाक्टर बन जाते हैं और जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो उनकी बोली लगाई जाती है। जब बोली लगती है, उसके बाद ही उनकी शादी तय होती है और अगर उस बोली की कीमत बेटी का बाप पूरा नहीं करता है, तो वह बेटी दहेज की बलि चढ़ जाती है । मै उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो दहेज प्रथा एक कुरीति है, उसके खिलाफ वह लोग जो इस विधेयक के विधेयक के खिलाफ लगातार आंदोलित हो रहे हैं? आंदोलन करने का काम कर रहे हैं?

उसके खिलाफ या समाज की जो कुरीतियां है, उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम वे क्यों नहीं करते हैं? ....(**समय की घंटी**)....

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस देश में तमाम बडे-बडे शेयर घोटाले भी हुए । अभी वर्तमान वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के बारे में वेदांत बिलियन पुस्तक में, उनके लिए घोटाले की बात आई, मैं मीडिया के साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि इन सारे सवालों पर वे लेख लिखने का काम क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में आंदोलन करने का काम क्यों नहीं करते ? आज वह तबका जो सदियों से दबाया गया था, आज इस सरकार ने वोट की राजनीति के तहत, चुनाव के डर की वजह से, जब चुनाव समाने आ रहे हैं, साहस करने का काम किया है और केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कानून बनाने का काम किया है, तो लोग इसके विरोध मे क्यों आंदोलित हो रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब तक इस देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम समानता नहीं ला देंगे, जब तक देश की जो राजनीतिक आजादी है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा । महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, इस सरकार द्वारा देर से ही सही, जो यह विधेयक लाया गया है उसका पुरजोर ढंग से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन, पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से, मंडल जी ने सही ध्यान दिलाया, उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन एक मत से इसको पारित करेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, thank you. On behalf of the CPI(M), our party, I fully support the 27 per cent OBC quota as enunciated in the Bill. We consider that the provision of reservation is good for the country, even as a partial acknowledgement of the inequities of the caste systems, discriminations and deprivations prevailing in our society for centuries. We know that historically, in the Indian society, the caste has determined the social strata; caste has been used as a means for consolidating exploitation by the rich and it is controlling the labour power.

Sir, it is the duty of all the true democratic-minded people to reject firmly the efforts of the vested interests of the upper castes to perpetuate the caste divide and deepen the caste^based passions and prejudices. Such a reservation, as in the Bill, though on a limited scale, will effectively provide opportunities for the *dalits, adivasis* and other backward classes to acquire education. .

Therefore, it is a welcome step towards ensuring equality of access to higher education to a larger number of economically deprived students. I would like- to refer a portion of the Standing Committee's unanimous decision: "47.2: The Committee was informed that a number of socially and edcuationally backwards amongst the minorities were already included in the OBC list, but in reality they have got a very limited access to the benefits. In view of these, the Committee is of the considered opinion that the interests of the socially and economically backwards amongst the minorities may be taken care of through suitable mechanism to ensure proper access." That was the unanimous decision of the Standing Committee.

So, I would like to request the hon. Minister that the Ministry should set up a mechanism for the minorities. And, as it was the unanimous decision of the Standing Committee that the socially and educationally backwards amongst the minorities should be taken care, I would request the Minister to say something on that unanimous decision.

Secondly, Sir, so far as the private institutions are concerned, the opponents of reservation say that the reservation penalises the merit. We know, Sir; and, we may even go through today's newspaper where it is said that reservation is coming very soon even in the private institutions. Access to education in our country is highly unequal. Inequality begins at the school level itself. The withdrawal of resources under the new liberal regime has affected public institutions of higher education equally badly The result has been rapid increases in fee in the existing courses and the starting of new courses under the so-called self-financing scheme. In the sphere of professional education, private institutions continue to mushroom giving complete stagnation to the capacity of public institutions' in this sector. These institutions are run purely on a commercial basis and whatever restriction exists on their profiteering, that has also been removed following the Supreme Court judgement deregulating private unaided institutions mentioned earlier. So, I request the Minister and also demand for reservation in private unaided institutions. In view of today's report in the newspapers regarding these private institutions, I would like to request the Minister to throw light on this issue.

Sir, secondly, the minority chapter from the Mandal Commission Report—and you know it—has delat at length with that issue. If I recollect,

Sir, a portion of the Mandal Commission Report deals with it. Sir, our party CPI (M) strongly believes that a system based on exploitation and inequality cannot bring justice to the poor and oppressed classes in real terms. Wider policy to change and alter the socio-economic system is all the more necessary and that requires a political will. The Mandal Commission has also raised it in detail. Even the question of land they have dealt with. Under the land reforms, distribution of land to the landless labour and poor peasantry and strengthening the Panchayati Raj system will control the rural economy. So, that is the measure. The unity and empowerment of the rural poor will succeed in preventing caste-based oppression. In West Bengal, Sir, together with the existing rural situation and the historical movement of social reformers and the peasants struggle, the situation has changed a lot. So, while speaking on this subject, Sir, I would like to express this experience of West Bengal and I would like to refer to the Mandal Commission Report on this subject. The Mandal Commission Report is missing. Anyway, Sir. We in the CPI(M) support extension for OBC reservation in education and we support reservation in higher educational institutions for SC/ST and OBC people in the Central educational institutions. Sir, the CPI(M) believes that the benefit must reach first to the majority of the poor and deprived among the oppressed communities. Unlike the OBC category, there exists considerable heterogeneity within the OBC. Some castes within the OBC category are considerably more advanced than other OBC castes. Secondly, within any given OBC caste, there is a considerable differentiation in respect of social and educational status and opportunities. While providing the benefits of the reservation for the more backward among the OBCs, our party holds that in the event of OBC quota not being filled up completely by such persons, the remaining OBC quota should go to the Creamy Layer among the OBCs and should not be re-allocated outside the OBC category. Sir while fully supporting, I mentioned at the very initial stage that our party fully supports 27 per cent OBC quota and we also pointed out here the unanimous decision of the Standing Committee relating to 47(2) about the setting up of a mechanism for minorities and the private institutions that has appeared in today's paper. I want the reaction of the Minister on this very important issue. Sir, in conclusion, while supporting the present Bill and which will provide minimum solace to the deprived sections of our society, we believe that the fight for social justice has to go along with the fight for economic quality and real

equality cannot be achieved without social justice. With these few words I conclude my speech with a request to the Minister once again to speak on the points mentioned here. Thank you.

SHRI P.G.NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, last year Constitutional amendment was brought and passed in both the Houses of Parliament to facilitate reservations to weaker sections, in aided and unaided educational institutions. Now, this Bill is before us to provide reservation to OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central educational institutions. Sir, while I support the move to reserve 27 per cent of the seats for OBCs in Central educational institutions, I have my own doubts whether through this Bill we can achieve social justice fully and protect the rights of weaker sections like OBCs from social injustice. Sir, as far as reservation to SCs, STs, and backward classes are concerned, Dravidian parties especially, AIADMK follow the footsteps of social reformer, late Shri C. Thanthai Periyar, E.V. Ramasamy Naickar and late Perarignar Anna who fought for social injustice for the weaker sections. Sir, I want to place on record that Sir it was our revered leader, late Dr. MGR who raised the reservation quota for backward classes from 30 per cent to 50 per cent way back in 1980. Then, all the subsequent Governments have been implementing the reservation, the same reservation quota without any hurdles. So, there is a total consensus in my State about the reservation quota to backward classes, I also want to place on record the historic move of the AIADMIK in protecting the 69 per cent reservation to these weaker sections of the society, in spite of the judgement from the Supreme Court fixing 50 per cent ceiling on all reservations. Sir, six crore people of Tamil Nadu did not approve of this judgment. So, my leader, the then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr.-Puratchi Thalaivi, enacted legislation in the State Assembly of Tamil Nadu to protect 69 per cent of reservation and persuaded the Central Government to include it in the Ninth Schedule of the Constitution. Even after this, the reservation quota is not fully safe. So, we want another amendment to the Constitution. In this connection, my leader, Dr. Puratchi Thalaivi, met the then Prime Minister of the NDA, Mr. Vajpayee and the UPA Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and written so many letters requesting them to bring about an amendment to the Constitution to safeguard the reservation quota of the weaker sections. But, neither the NDA Government nor the UPA Government brought the necessary amendment to the Constitution. So, the national parties—the

2.00'P.M.

BJP and the Congress—are not interested to protect the welfare of the weaker sections of the society. As per the Mandal Commission's Report, submitted in 1980, the OBC population was 52 per cent in the country. But, now, the population of the OBCs has gone up to 65 per cent. Reservation quota for the OBCs should be fixed based on the population of the OBCs. The present reservation quota of 27 per cent for the OBCs in not in commensurate with the increase in population of the OBCs. The Supreme Court also observed that reservation is not a concession; it is a Constitutional right of the downtrodden people. So, the OBCs should be given, at least, 50 per cent of reservation. But the Government will answer to my question conveniently by saying that there is 50 per cent ceiling fixed by the Supreme Court. If the Government is really interested to protect the rights and safeguard the interests of weaker sections of the society, it can enact legislation or bring an amendment to the Constitution to override the judgement of the Supreme Court. But, it did not do so. The Government came to power with a slogan *'Aam Admi.'* Do you think that the OBCs are not *'Aam Admis.* 'The OBCs constitute 65 per cent of the total population and they are the highest taxpayers. You cannot ignore them. The Government is doing everything against *'Aam Admi.'* I am sorry for *'Aam* Admi'who voted this Government to power. This is all I can say. Sir, I do not know why this quota for the OBCs in Central Educational Institutions is proposed to be implemented in phases. Having accepted 27 per cent of reservation for the OBCs, it should be implemented in one go and not in instalments. As far as my knowledge goes, it is going to implement 9 per cent in 2007, another 9 per cent in 2008 and the remaining 9 per cent in 2009. This is a great injustice to the OBCs.

Another important point is, the Government is going to increase the seats in all the Central Educational Institutions. Sir, what about the existing total seats? Out of the increased seats, 27 per cent of reservation is going to be implemented.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIDINESH TRIVEDI): Please conclude now. There is a statement by the Minister at 2.00 P.M.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I will take only a few minutes. I will not take much time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI). The time allotted to you is already over. And the hon. Minister has to make a statement at 2.00 P.M.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, this is an important point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): You can continue after the statement.

SHRI P.G. NARAYANAN: Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): There is a statement by Shri Suresh Pachouri on behalf of Shri Priyaranjan Dasmunsi.

STATEMENTS BY MINISTERS

Amendments Made to Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and Rules Made thereunder

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission, on behalf of my senior colleague, Shri Priyaranjan Dasmunsi, I beg to make the following statement regarding the amendments to the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and Rules made thereunder.

The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2006 was notified on September 15, 2006. As per this Amendment Act, the Salary and Daily Allowance of the Members of Parliament were revised to Rs. 16,000/- per month and Rs. 1,000/- per day with effect from September 14,2006. The other provisions of the Act, namely, revised road mileage of Rs. 13/-per kilometre, revised minimum pension of Rs. 8,000/- per month, revised minimum family pension of Rs. 4,000/- per month etc. were made effective with effect from September 15,2006.

As mentioned by my colleague during the discussion on this Bill in this House on 24th August, 2006, increase was also proposed in constituency allowance to Rs. 20,000/- per month, office expense allowance to Rs. 20,000/- per month, revision in the ceiling of durable and non-durable furniture